

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

रीडर/2023/1155

दिनांक - 31/03/23

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

चेतन पुत्र पेमाराम 2 पाबुराम पुत्र अलसाराम 3 पारू पत्नी पेमाराम 4 भंवराराम पुत्र अलसाराम 5 राजो पत्नी अलसाराम 6 विरधा पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी काऊ का खेड़ा, कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर।

1 गोमाराम पुत्र सुखराम 2 भीखाराम 3 सोनाराम 4 केशुगाराम पिसरान रामाराम 5 अचलाराम पुत्र सुखराम जाति जाट 6 अणदाराम पुत्र कलाराम जाति सुथार निवासी काऊ का खेड़ा कवास 7 खेराजाराम पुत्र करनाराम 8 मलाराम पुत्र पेमाराम 9 तगाराम पुत्र करनाराम 10 मोहनलाल पुत्र पेमाराम 11 लक्ष्मी पत्नी पेमाराम 12 अनाराम 13 तेजाराम 14 रतनाराम 15 हुकमाराम पिसरान विरधाराम 16 गुमनाराम पुत्र वीरमाराम जाति जाट निवासी हरखाणी गोदारों की ढाणी, कवास 17 पोकरराम पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी काऊ का खेड़ा कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर 18 शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा कवास 19 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 356/2022

दिनांक - 29/03/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा काऊ का खेड़ा पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 793/344 रकबा 12.6019 हैक्टर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)

उपखण्ड-अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक - 31/03/23

क्रमांक :- रीडर/2023/1156-59

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. चेतन पुत्र पेमाराम वगैराह जाति जाट निवासी काऊ का खेड़ा, कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी गोमाराम पुत्र सुखराम वगैराह जाति जाट निवासी काऊ का खेड़ा, कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड-अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर